अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना (एससीपी) तथा जनजातीय उप योजना (टीएसपी) और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरणों हेतु राष्ट्रीय विधान - इसकी अत्यधिक आवश्यकता तथा आवश्यक विशेषताओं और राज्य विधान के संबंध में नोट

पी.एस.कृष्णन द्वारा

पृष्ठभूमि

1. अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) की परिकल्पना तथा निरूपण 1970 के दशक में एक विशिष्ट विकासात्मक अस्त्र के रूप में किया गया था जिससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु विकासात्मक योजनाओं/कार्यक्रमों तथा तदनुरूपी परिव्यय में उनकी उचित हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जा सके जो उनके जनसंख्या अनुपात से कम न हो ताकि उनके विकास तथा उन्नति में अंतर को दूर किया जा सके। एससीपी दलितों हेतु सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए मेरी अत्यधिक महत्वपूर्ण पेशकशों में से एक है जिसे मैंने वर्ष 1978 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग विकास तथा कल्याण का प्रभारी रहते हुए बनाया, तैयार किया और प्रारंभ किया था। पीएसपी को मेरे दो सहयोगियों स्वर्गीय डा.बी.डी.शर्मा और डा.भूपेन्द्र सिंह द्वारा बनाया तथा तैयार किया गया था।

संवैधानिक आधार

2. एससीपी और टीएसपी सरकार को सामाजिक न्याय के व्यापक उपायों के माध्यम से सामाजिक समानता सहित समानता की एक व्यवस्था के निर्माण हेतु दिए गए संवैधानिक अधिदेश पर आधारित है। इनका आधार संविधान की प्रस्तावना और इसके कई अनुच्छेदों में है , जिनमें अनुच्छेद 46 प्रमुख है जो अन्य बातों के साथ-साथ सरकार को आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के लिए सभी उपाय करने का अधिदेश देता है, विशेष रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु, और अनुच्छेद 15(4), जो सरकार को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु कोई भी आवश्यक उपाय करने के लिए प्राधिकृत करता है, और कई अन्य विशिष्ट अनुच्छेद।

एससीपी तथा टीएसपी के चार दशक का अनुभव

3. एससीपी तथा टीएसपी के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को कुछ विकासात्मक लाभ प्राप्त हुए है। परन्तु एससीपी तथा टीएसपी की पूर्ण संभाव्यता अभी प्राप्त नहीं की जा सकी है। इसका कारण यह है कि उत्साह के प्रारंभिक वर्षों के पश्चात एससीपी तथा टीएसपी समय के साथ नियमित घटनाएं बनकर रह गई हैं और इनके महत्व को कम करके इन्हें मात्र एक सांख्यकीय-गणितीय क्रिया बना दिया गया है, जिसका अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की आधारभूत स्थितियों तक बहुत कम प्रभाव पड़ रहा है।

अतः एससीपी तथा टीएसपी के उद्देश्य को अब तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। अब केन्द्र में तैयार की जाने वाली तथा बजट विवरणों में यथा प्रस्तुत एससीपी तथा टीएसपी की मात्रात्मक तथा गुणात्मक कमियों को वार्षिक बजट संबंधी मेरे पेपरों में दर्शाया गया है। ऐसे दो पेपर, एक नवीनतम बजट 2015-16 के संबंध में और दूसरा पिछली सरकार के 2011-12 के बजट के संबंध में, संलग्न है।

4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास के सामाजिक तथा संवैधानिक लक्ष्यो को ध्यान में नही रखा गया था और हमारी व्यवस्था ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास के अति महत्वपूर्ण उदेश्यों के अनुरूप एससीपी तथा टीएसपी के निरूपण हेतु कोई पद्धति तैयार नहीं की थी। विद्यमान पद्धति में केन्द्र तथा राज्य के योजनागत परिव्ययों को पहले विभिन्न क्षेत्रों और मंत्रालयों/विभागों के मध्य आवंटित किया जाता है । उनके कार्यक्रम तथा योजनाएं ऐसी प्राथमिकताओं पर आधारित होती हैं जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते। तत्पश्चात, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रभारी होने वाला केन्द्रीय मंत्रालय/ राज्य का विभाग प्रत्येक क्षेत्रक केन्द्रीय मंत्रालय/राज्य विभाग से एससीपी तथा टीएसपी में उसका अंशदान मांगता है। केन्द्रीय मंत्रालय/राज्य विभागों द्वारा अशंदान, या तो बिल्कुल दिए नहीं जाते अथवा अपर्याप्त तथा अनिच्छुक ढंग से/लापराहीपूर्ण तरीके से दिए जाते हैं जिसमें सामान्यतः नाम मात्र की राशियां अथवा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की आवश्यकताओं तथा अधिकारों से संगत न होने वाली/बहुत कम संगत होने वाली राशियां दी जाती हैं, जबकि इस राशि का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य उनका विकास करना तथा अंतर में कमी/अंतर को समाप्त करना है।

5. अनुसूचित जाति विकास के मूलभूत लक्ष्य जिन्हें एससीपी तथा टीएसपी के सार्थक निरूपण तथा कार्यान्वयन में ध्यान में रखा जाना है, निम्नवत है -

- कृषि तथा अन्य दासत्व से आर्थिक मुक्ति,
- सभी स्तरों पर शैक्षणिक समानता,
- सामाजिक रूप से अग्रणी जातियों (एसएसी) अथवा गैर-एससी, गैस-एसटी, गैर-सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ी जातियां (एनएससीटीबीसी) के साथ प्रत्येक मानदण्ड में समानता - आर्थिक, व्यावसायिक, सभी स्तरों पर शिक्षा, आवास-सह-प्रवास संबंधी, स्वास्थ्य - एवं पोषण संबंधी आदि, और
- सामाजिक गरिमा की रक्षा तथा सुरक्षा।
  अनुसूचित जनजाति के संबंध में ऊपर उल्लिखित मूलभूत लक्ष्यों के साथ-साथ तथा इसके अतिरिक्त
- अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति तथा जीवन के तरीकों की रक्षा, जिसमें उनकी परंपरागत स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्वायतता शामिल है।

6. इन मूलभूत लक्ष्यों के आलोक में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा एससीपी तथा टीएसपी का निरूपण तथा कार्यान्वयन इस प्रकार से किया जाना है कि एसएसी/एनएससीटीबीसी की तुलना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मध्य प्रत्येक मानदण्ड में सामाजिक-आर्थिक अंतरों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की आवश्यकताओं तथा अधिकारों पर आधारित व्यापक, एकीकृत, उद्देश्य अभिमुख आयोजना द्वारा तथा उपरोक्त मूलभूत लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए समाप्त किया जा सके।

7. मैं 1980 के दशक के प्रारंभ से योजना कार्यदलों और योजना संचालन समिति आदि में तथा मेरे द्वारा 1996 में सामाजिक न्याय हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई फोरम (एनएएफएसजे) के तत्वावधान में निरूपित "दलित घोषणा-पत्र, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों तथा पात्रताओं को समाहित करना " , जिसे मैने व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा नेतृत्व किए गए एनएएफएसजे के प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को दिया तथा इस पर चर्चा की, से सार्वजनिक क्षेत्र में, नीचे पैरा 9 में उल्लिखित विशेषताओं के साथ इस प्रणाली को अपनाने का आग्रह करता रहा हूं। दलित घोषणा पत्र में कार्रवाई की जाने वाली मदों में एससीपी तथा टीएसपी हेतु विधान का विचार और नीचे पैरा 9 में उल्लिखित विशेषताएं भी शामिल थी। 1990 में कल्याण मंत्रालय के सचिव के रूप में मेरे द्वारा किया गया यह प्रस्ताव कि कुल विकासात्मक परिव्यय का एक अंश, जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या अनुपात के समतुल्य अनुपात से कम न हो, प्रारंभ से ही अलग किया जाना चाहिए , वह भी बिना किसी क्षेत्रक समझौतों के रूप में और यह एससीपी तथा टीएसपी की निधि के रूप में रखा जाना चाहिए क्योंकि इन दो संयुक्त निधियों का उपयोग प्रत्येक वर्ष एकीकृत समग्र योजनाओं के निरूपण हेतु किया जाएगा जो पूर्णतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की विकासात्मक आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा, और इसे तत्कालीन कल्याण मंत्री द्वारा स्वीकृत किया गया था तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री-सह-योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित किया गया था। उस दिशा में योजना आयोग द्वारा मेरे परामर्श से उठाए गए प्रारंभिक कदमों के पश्चात तत्कालीन सरकार के गिरने, उसके बाद की राजनैतिक अस्थिरता और सरकारों के बदलने, तथा 1990 के दशक के अंत में मेरी स्वयं की सेवानित्ति के चलते आगे कोई प्रगति नहीं हुई थी। संयुक्त मोर्चा सरकार ने वर्ष 1996 में इस अवधारणा को दलित घोषणा-पत्र के साथ पूरी तरह से स्वीकार किया था, परन्तु इसे कार्यान्वित करने से पूर्व ही अल्प समय में यह समाप्त हो गई और यह कुछ आंतरिक बाधाओं से बाधित हुआ जिनका मैं आवश्यकता पड़ने पर अलग से उल्लेख करूंगा।

8. इसी बीच एससीपी तथा टीएसपी के प्रति सचेतता तथा जागरूकता उत्पन्न हुई और उनका महत्व धीरे-धीरे दलित तथा आदिवासी और उनके उद्देश्य हेतु सक्रिय सामाजिक

संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को पता चला। एससीपी तथा टीएसपी की बहु आयामी प्रकृति के कारण इस प्रक्रिया में समय लगा। यहाँ तक कि अभी तक भी यह प्रक्रिया अपूर्ण है और इसके महत्व को दलित तथा आदिवासियों के एक बड़े हिस्से द्वारा अभी समझा जाना है। जनता के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने की इस प्रक्रिया को पूरा करना हमारे समक्ष होने वाले महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। पिछले दशक में सचेतता तथा जागरूकता में वृद्धि भले ही सीमित थी, इसने एससीपी तथा टीएसपी हेतु आंदोलन को सुदृढ़ किया है और विधान के माध्यम से उन्हें सुदृढ़ करने तथा उनके निरूपण को सार्थक तथा कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। दलित मानवाधिकारों हेतु राष्ट्रीय अभियान (एनसीडीएचआर), राष्ट्रीय दलित संगठन परिसंघ (एनएसीडीआरआर), दलित अध्ययन केन्द्र (सीडीएस), राष्ट्रीय दलित फोरम (एनडीएफ), एससीपी तथा टीएसपी विधान संबंधी राष्ट्रीय गठबंधन, एससीपी तथा टीएसपी हेतु राष्ट्रीय फोरम जैसे दलित तथा आदिवासी संगठनों तथा इसके अलावा सामाजिक न्याय हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई फोरम (एनएएफएसजे), सभी ने इस आंदोलन में शामिल हुए हैं तथा इसे मजबूत बनाने में सहायता की है।

एससीपी तथा टीएसपी की सार्थक प्रणाली की विशेषताएं

9. एससीपी तथा टीएसपी की एक सार्थक प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए :
    - दो पृथक निधियों के रूप में योजनागत/विकास निधियों में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कुल अंश को अलग रखना, जो कम से कम उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में होना चाहिए - इसे योजनागत/विकास निधियों को क्षेत्रक रूप से वितरित/आवंटित करने से पूर्व किया जाना चाहिए।
    - ये दो एससीपी तथा टीएसपी की निधियां होंगी।
    - इन दो निधियों में से कोई पूर्व क्षेत्रक आवंटन या प्रतिबद्धताएं नहीं होंगी।
    - इन निधियों के भीतर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास, उन्नति तथा सशक्तिकरण हेतु योजनाएं पूर्णतः उनकी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के आधार पर बनाई जाएंगी।
    - ये कार्य आदर्श तौर पर राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरणों को सौंपे जाएंगे और कार्यान्वयन जिला स्तरीय अनुसूचित जाति विकास प्राधिकारियों तथा अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकारियों को सौंपा जाएगा।

राष्ट्रीय तथा राज्य प्राधिकरण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु प्राधिकरणों द्वारा निरूपित /अनुमोदित स्कीमों तथा योजनाओं के आधार पर क्रियान्वयन मंत्रालयों/विभागों /संस्थानों के पक्ष में स्वीकृति जारी करेंगे और उनके पास स्वीकृत राशियों की निगरानी मार्ग सुधार तथा पुनर्विनियोजन की शक्तियां होंगी।

(*वर्ष 2013 में तैयार सरकारी विधेयक, परन्तु जिसे संसद में पेश नहीं किया गया था, एक कमजोर संस्करण है तथा विकास प्राधिकरणों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधानों का लोप करता है और यह कार्य अधिकारिक निकायों पर ही छोड़ा गया है, तथा इसमें कई और कमियां हैं*)

- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरणों में सेवाओं में रत व्यक्तियों का प्रमुखता के साथ प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास के साथ निकट रूप से जुड़े हुए हों तथा साथ ही साथ इसमें अधिकारिक प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए।
- विकास प्राधिकरणों को कार्यात्मक, वित्तीय तथा प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदानक जानी चाहिए ।
- इस प्रकार तैयार की गई योजनाएं तथा कार्यक्रम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को विकास, कल्याण तथा जीवन के सभी मानदण्डों में राज्य तथा देश के एसएसी/एनएससीटीबीसी के स्तर तक पहुंचने में सहायता करेंगे।
- एससीपी तथा टीएसपी के अंतर्गत निरूपित योजनाओं तथा कार्यक्रमों में केवल ऐसी योजनाएं तथा कार्यक्रम शामिल होने चाहिए जिसके परिव्यय तथा लाभ सीधे और अनन्य रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों, परिवारों, समूहों, संस्थानों तथा प्रवासों को मिले। सभी हेतु या सामान्य योजनाओं में उपलब्ध अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए परिव्यय को दर्शाने वाली गणितीय तथा सांख्यकीय बाजीगरी और ऐसे अंश को एससीपी तथा टीएसपी के रूप में दर्शाए जाने से समानता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा - इसने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को वास्तव में लाभ दिए बिना अथवा उन्हें केवल सीमांत/गैर-महत्वपूर्ण लाभ देते हुए एससीपी तथा टीएसपी हेतु परिव्ययों का एक अवास्तविक तथा बढ़ा-चढ़ाकर आंकड़ा पेश किया है तथा इसकी गुंजाइश बनी रहेगी।
- योजनाओं के निरूपण और उनके कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण तथा निगरानी की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा उनके लिए कार्य करने वालों की एक निर्णायक भूमिका होनी चाहिए और जिला तथा उप जिला स्तरों पर दलित तथा आदिवासियों की बड़ी संख्या केसाथ परामर्श का एक तंत्र मौजूद होना चाहिए। इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता और योजनाओं/कार्यक्रमों तथा परिव्ययों की विस्तृत तथा विशिष्ट जानकारी होनीचाहिए ताकि दलित तथा आदिवासी और उनके लिए कार्य कर रहे लोग भी सरकारी पदाधिकारियों के अलावा स्वीकृत योजनाओं/कार्यक्रमों तथा परिव्ययों को अंतिम सिरे तक पता लगा सके।

विधान की ओर कदम

10. 1990 के प्रस्तावों का उपयोग करते हुए, जिन्हें औपचारिक रूप से तत्कालीन प्रधानमंत्री -सह-योजना आयोग के अध्यक्ष द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृत तथा अनुमोदित किया गया था और दलित घोषणा-पत्र ने कार्रवाई बिंदु जिसमें उक्त विशेषताएं (पैरा 9 देखें)

समाहित करते हुए, और मूलभूत लक्ष्यों (पैरा 5 देखें) को ध्यान में रखते हुए एससीपी हेतु एक व्यापक विधेयक मेरे द्वारा 12वीं योजना अवधि में अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण हेतु कार्य बल के अध्यक्ष के रूप में तैयार किया गया था, जिस पर कार्यदल द्वारा चर्चा की गई तथा उसे अनुमोदित किया गया - यह दल काफी व्यापक आधार वाला था और इसमें कुछ राज्य सरकारों, संगत मंत्रालयों, योजना आयोग के प्रतिनिधि, विद्वान तथा सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे, जिसमें से अधिकांश दलित थे - और इसे वर्ष 2011 में सरकार को प्रस्तुत किया गया। बाद में इस पर सामाजिक संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के निकायों में चर्चा की गई थी, और इन परामर्शों से उभरने वाले बिन्दुओं को प्रारूप विधेयक में शामिल किया गया था। तत्पश्चात, मैनें एक व्यापक प्रारूप विधेयक तैयार किया जिसमें एससीपी, टीएसपी को भी यथोचित परिवर्तन करके कवर किया गया था और इसे वर्ष 2013 में सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेजा। मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ परामर्श किए और एससीपी तथा टीएसपी हेतु अपना स्वयं का विधेयक तैयार किया। मंत्रालय का विधेयक वर्ष 2013 में तैयार था और यह एक कदम आगे था, यद्यपि इसमें मेरे द्वारा तैयार किए गए प्रारूप विधेयक के सभी प्रावधान शामिल नहीं थे। परन्तु मंत्रालय का विधेयक अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, बावजूद मेरे तथा दलित संगठनों और कार्यकर्ताओं के समग्र प्रयासों के बावजूद, जिसके कारण तथा परिस्थितियों का उल्लेख मैं आवश्यकता पड़ने पर अलग से करूंगा।

11. इसी बीच तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार ने दलित तथा आदिवासियों के एक जन आंदोलन के चलते राज्य विधायिका के समक्ष एक राज्य विधेयक पेश किया और उसे जनवरी, 2013 में लागू करवा लिया । इस प्रकार पारित अधिनियम अब तेलांना राज्य तथा आध्र प्रदेश राज्य दोनों पर लागू होता है। वर्ष 2013 में ही बाद में कर्नाटक में भी इसी प्रकार का एक अधिनियम पारित किया गया था। इन दोनों राज्य विधानों की अपनी सीमाएं हैं, फिर भी यह एक आगे बढ़ने वाला कदम है।

12. यह सुविख्यात है कि एक सार्थक विधान आवश्यक शर्त है परन्तु यह स्वयं वांछित परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता। परिणाम ऊपर पैरा 9 में संक्षेप रूप से वर्णित तरीके से एससीपी तथा टीएसपी के निरूपण और उनके कार्यान्वयन में प्रभावोत्पादकता पर निर्भर करते हैं। इसके लिए राजनैतिक तथा प्रशासनिक अधिकरियों की ओर से गम्भीर तथा फोकसबद्ध घ्यान दिए जाने तथा बड़ी संख्या में दलितों तथा आदिवासियों और उनके लिए निरंतर कार्य कर रहे लोगों की सक्रिया भागीदारी की आवश्यकता है। विधानों को बनाने वाले राज्यों में भी इस संबंध में अनुभव की गई सीमाओं को 24.06.2016 को बंगलौर में आयोजित एससीपी तथा टीएसपी संबंधी परामर्श की कार्यवाहियों में दर्ज प्रस्तुतीकरणों में दर्शाया गया है।

13. तीन राज्यों में राज्य विधानों के बावजूद, और यदि और राज्य भी विधान बना लें, केन्द्र , समूचे देश, तथा सभी राज्यों पर लागू होने वाला एक राष्ट्रीय विधान अत्यधिक आवश्यक है। हमारे समक्ष एक महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रातिशीघ्र एक राष्ट्रीय विधान बनाने को सुनिश्चित करने का है। इस राष्ट्रीय विधान के अत्यधिक महत्व के मुद्दे को पिछली सरकार के नेताओं और उस सरकार में प्रमुख दल के नेताओं की जानकारी में संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, पत्रों तथा शिष्टमंडलों के माध्यम से लाया गया था। इसे वर्तमान सरकार के नेताओं और इस सरकार में प्रमुख दल के नेताओं की जानकारी में भी संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, पत्रों तथा शिष्टमंडलों के माध्यम से लाया गया है।

14. इसी बीच, प्रत्येक राज्य में राज्य विधान बनवाने के लिए भी प्रयास साथ-साथ किए जाने की आवश्यकता है।

15. वर्तमान कार्यशाला के प्रतिभागी एससीपी तथा टीएसपी के महत्व तथा संभाव्यता और उनके लिए एक राष्ट्रीय विधान की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। तत्काल किया जाने वाला कार्य अब बिना और समय गवांए इस राष्ट्रीय विधान को बनाने को सुनिश्चित करने हेतु रणनीतियां बनाना है। सरकार को प्रस्तुत प्रारूप राष्ट्रीय विधान व्यापक है तथा उपरोक्त पैरा 9 में सूचीबद्ध एससीपी तथा टीएसपी की सभी आवश्यक विशेषताओं को कवर करती है और वर्ष 2013 में तैयार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का कमजोर प्रारूप विधेयक, जिसे परित्याग कर दिया गया था, की एक-एक प्रति संलग्न है।

16. एससीपी तथा टीएसपी हेतु राष्ट्रीय विधान को सुनिश्चित करने हेतु रणनीति की दो श्रेणियां हैं -

क. सरकार तथा इसके नेताओं पर पत्रों, ज्ञापनों, व्यापक हस्ताक्षर अभियानों तथा शिष्टमंडल आदि के माध्यम से दबाव डालना।

ख. एससीपी तथा टीएसपी के संदेश को समूचे देश के गांव तथा मोहल्लों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की बड़ी संख्या तक ले जाना, उनके मध्य एससीपी तथा टीएसपी तथा उनके विकासात्मक अधिकारों के संबंध में स्पष्टता के साथ जागरूकता उत्पन्न करना और इस प्रकार यह सुनिश्चित करना कि दलितों तथा आदिवासियों की सूचित आवाज इस तरीके से प्रस्तुत की जाए कि कोई सरकार उसकी अनदेखी न कर सके। शांतिपूर्ण तथा शक्तिशाली रूप से लोगों को जुटाया जाना इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग है न केवल एससीपी तथा टीएसपी हेतु राष्ट्रीय विधान बनाने को सुनिश्चित करने के लिए बल्कि प्रत्येक स्तर पर दलित तथा आदिवासी लोगों की भागीदारी के साथ उनके प्रभावी तथा पारदर्शी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भी।

इस रणनीति को एससीपी तथा टीएसपी हेतु राज्य विधान प्राप्त करने के लिए भी अपनाया जाना चाहिए।

17. सभी दलितों तथा आदिवासियों और उनके मित्रों को जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि "अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना (एससीपी)" , जो वर्ष 1978 से 2006 तक विद्यमान थी और जिसे इस समूची अवधि के दौरान विभिन्न दलों के विभिन्न प्रधानमंत्रियों द्वारा जारी रखा गया था, इसे वर्ष 2006 में बदलकर "अनुसूचित जाति उप-योजना" के निचले स्तर के नाम पर लाया गया था। "योजना " से "उप-योजना" में यह परिवर्तन अहानिकर तथा महत्वहीन नहीं है। किसी योजना तथा उप-योजना के मध्य बहुत बड़ा अन्तर होता है। दलित (अनुसूचित जाति) को योजना मिलनी चाहिए न कि उप-योजना क्योंकि वे योजना के हकदार हैं। आदिवासियों (अनुसूचित जनजातियों) के मामले में अभिव्यक्ति "उप-योजना " को प्रारंभ में लाया गया था क्योंकि इसकी परिकल्पना जनजातीय क्षेत्रों हेतु एक क्षेत्र योजना के रूप में की गई थी। परन्तु यहां तक कि आदिवासी भी, न केवल जन-जातीय क्षेत्रों में बल्कि जनजातीय क्षेत्रों के बाहर एक योजना के हकदार हैं न कि उप-योजना के। दलितों तथा आदिवासियों में उनकी गरिमा के अनुरूप न होने वाले नामों को अस्वीकृत करने का इतिहास रहा है। "अनुसूचित जाति उप-योजना" के नाम के निचले स्तर को अस्वीकार करके इसे दोहराया जाना चाहिए "अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना (एससीपी) के नाम पर बल दिया जाना चाहिए।

हाल की घटनाएं

18. हाल में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की गई है :
    1. पंचवषीय तथा वार्षिक योजना प्रणाली को समाप्त करना और इसे एक 15 वर्षीय दृष्टिकोण तथा सात वर्षीय राष्ट्रीय विकास एजेंडा (एनडीए) और एक तीन वर्षीय मध्यावधी समीक्षा से प्रतिस्थापित करना।
    2. अब तक विद्यमान योजनागत तथा गैर-योजनागत बजटों के बजट प्रारूप को समाप्त करना और केवल पूंजी तथा व्यय को रखने का निर्णय।

इन्होंने एससीपी तथा टीएसपी के संबंध में आंशकाएं उत्पन्न की हैं।

19. इस संबंध में, मैंने 10 अगस्त 2016 को नीति आयोग ने इस मामले के प्रभारी विशेष सचिव से भेंट की। उन्होंने कहा कि नीति आयोग एससीपी तथा टीएसपी को जारी रखना चाहता है और उसने प्रस्तावित नए बजट प्रारूप में एससीपी तथा टीएसपी को समाहित किए जाने के तरीके के संबंध में पूछने के लिए वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। तत्पश्चात मैंने वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव, बजट से चर्चा की। उन्होंने मुझे बताया कि नए बजट प्रारूप के इस पहलू को अभी निर्धारित किया जाना है। मैंने उन्हें बताया कि एससीपी तथा टीएसपी को नए बजट प्रारूप में बनाए रखा जाना चाहिए।

मैंने इसका अनुवर्तन वित्त मंत्री को लिखे गए दिनांक 1.9.2016 के एक अ.शा.पत्र से किया जिसकी प्रतियां वित्त राज्य मंत्री, वित्त सचिव, संयुक्त सचिव (बजट) और प्रधानमंत्री तथा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और जनजातीय मामले मंत्रियों तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री को भी भेजी गई थी। मेरे दिनांक 1.9.2016 के पत्र की प्रति संलग्न है।

20. एक महत्वपूर्ण समानांतर घटनाक्रम 18.8.2016 को दिल्ली में हाल ही में गठित एससीपी तथा टीएसपी हेतु राष्ट्रीय फोरम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला थी। इस कार्यशाला में उत्तरप्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उडीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल थे जो जिम्मेवार पदों पर हैं/रहे हैं जैसे कि सेवानिवृत्त/कार्यरत आईएएस तथा अन्य अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी, अन्य पेशेवर, सामाजिक कार्यकर्ता आदि। कार्यशाला के पश्चात मेरे नेतृत्व में एक 5 सदस्य वाला प्रतिनिधिमंडल माननीय गृहमंत्री से भेंट करने गया। प्रतिनिधिमंडल तथा प्रतिभागियों की ओर से मैंने उन्हें उपरोक्त पैरा 10 में संदर्भित मेरे द्वारा तैयार किए गए प्रारूप विधेयक की प्रति सौंपी। मैंने उन्हें राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिभागियों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु कार्य कर रहे अन्य सभी लोगों की भी इस एकमत इच्छा से अवगत कराया कि सरकार द्वारा इस प्रारूप विधेयक को स्वीकार किया जाए और संसद के आगामी शीतकालीन सत्र 2016 में इसे पारित करवाया जाए। मैंने उन्हें वर्ष 2013 में हैदराबाद में उनके कथन का स्मरण कराया कि उनके दल के केन्द्र में सत्ता में आने पर एससीपी तथा टीएसपी हेतु राष्ट्रीय विधान बनाया जाएगा। उन्होंने अपने कथन को याद किया और राष्ट्रीय विधान बनाने हेतु अपनी पूर्ण समर्थन का वादा किया।

21. मैंने इस पर आगे 23.8.2016 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के नए राज्य मंत्री के साथ चर्चा की (16.8.2016 को एक प्रारंभिक चर्चा के पश्चात) । 23.8.2016 को हुई बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और नीति आयोग की अधिकारी उपस्थित थे। बाद में मैनें 1.9.2016 को केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के साथ भी इस पर चर्चा की। मैनें उन दोनों को उक्त प्रारूप विधेयक की प्रतियां भी सौंपी।

22. 3.10.2016 को अहमदाबाद में एससीपी तथा टीएसपी हेतु राष्ट्रीय फोरम की गुजरात शाखा ने एक गुजरात राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया था। प्रतिभागियों में जिम्मेवार पदों पर आसीन लोगों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उत्थान के कार्य में नियोजित तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंध में चिंतित लोगों तथा सरकार के प्रतिनिधियों की एक व्यापक संख्या शामिल थी। मैंने

उन्हें एससीपी तथा टीएसपी की पृष्ठभूमि और मेरे द्वारा तैयार किए गए तथा प्रतिभागियों को प्रचालित गुजरात विशिष्ट प्रारूप विधान की आवश्यकता तथा विषय-वस्तु के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। सभी ने इस कदम का समर्थन किया। कार्यशाला के पश्चात मेरे नेतृत्व में एक 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल जिसमें राज्य की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विभिन्न समुदायों और खानाबदोश तथा विमुक्त जाति समुदायों के भी प्रतिनिधि शामिल थे, ने राज्य के मुख्यमंत्री से भेंट की। प्रतिनिधि मंडल तथा प्रतिभागियों की ओर से मैंने उन्हें गुजरात विशिष्ट प्रारूप विधेयक की एक प्रति सौंपी और उन्हें उसकी आवश्यकता तथा विषय-वस्तु के बारे में विस्तारपूर्वक बताया तथा उनसे राज्य विधायिका के आगामी सत्र में विधान को बनाने को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री का रूख सकारात्मक था। उन्होंने निदेश दिया कि मेरे पृष्ठभूमि नोट तथा विधेयक का गुजराती में अनुवाद किया जाए ताकि विधायिका में विधेयक को लाने की तैयारी के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति द्वारा उस पर विचार तथा सिफारिश की जा सके।

केरल में इस क्षेत्र में सक्रिय होने वाले व्यक्तियों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होने वाले एक शिष्ट मंडल के साथ मैंने 24 नवम्बर, 2016 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण के प्रभारी मंत्री से; 26 नवम्बर, 2016 को विधि; संस्कृति तथा संसदीय कार्य के प्रभारी मंत्री से; 25 नवम्बर, 2016 को केरल राज्य आयोजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री से तथा 26 नवम्बर, 2016 को केरल के मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें मेरे पृष्ठभूमि नोट तथा मेरे द्वारा तैयार किए गए एससीपी तथा टीएसपी हेतु केरल विशिष्ट प्रारूप विधेयक की एक प्रति सौंपी और उन्हें उसकी आवश्यकता तथा विषय-वस्तु के बारे में विस्तारपूर्वक बताया तथा उनसे राज्य विधायिका के आगामी सत्र में विधान को बनाने को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। उनका रूख सकारात्मक था। बाद में केरल राज्य सरकार ने 5 जनवरी 2017 को बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श आयोजित किए। राज्य के मुख्य सचिव ने सूचित किया है कि विधान को बनाने के लिए सक्रिय रूप से कदम उठाए जा रहे हैं।
वर्तमान कार्यशाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सबंध में समान कार्यवाही हेतु है।

23. इस सबका अर्थ यह नहीं होता है कि विधान एक निश्चित समाधान है और इसे स्वतः ही बना लिया जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार एवं सतत प्रयासों की आवश्यकता होती है। इस विधान के अधिनिगमन के पश्चात हमें इसके प्रभावी कार्यान्वयन तथा निगरानी और तत्संबंधी दक्ष प्रणालियों को सुनिश्चित करने के चरण की ओर जाना होगा।

मेरे द्वारा पहले तैयार राष्ट्रीय विधान का एक मसौदा और अब मेरे द्वारा तैयार किया गया दिल्ली विशिष्ट विधान का प्रारूप संलग्न है।